घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005

Dr. Suheli Mehta, Associate Professor, Dept. of Home Science, MMC
E-Content for Semester II

महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण दिये जाने और उन्हें0 राहत व आपातकाल में संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्यस से भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया गया। यह अधिनियम व इसके अन्त्गत घरेलू हिंसा से संरक्षण नियम, 2006 पूरे देश में एक साथ दिनांक 26.10.2006 से प्रभावी किये गये है। इस अधिनियम के अन्तयर्गत पहली बार घरेलू संबंधों और घरेलू हिंसा को स्प ष्ट और परिभाषित किया गया है। बहिन, विधवा, मॉ, बेटी, अकेली अविवाहित महिला आदि को भी इस अधिनियम के अन्तार्गत राहत हेतु घरेलू संबंधों में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्तम 'साझा घर' (Shared Household) को भी परिभाषित किया गया है ताकि व्य थित महिला को निवास संबंधी सुविधा दी जा सकें।

घरेलू हिंसा की परिभाषा –

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ घरेलू हिंसा शब्दह का व्यांपक अर्थ लिया गया है। इसमें प्रत्यनर्थी का कोई भी ऐसा कार्य, लोप या आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा, यदि वह व्यतथित व्यीक्ति (पीडित) के स्वा स्य्शब , की सुरक्षा, जीवन, उसके शारीरिक अंगों या उसके कल्यापण को नुकसान पहुंचाता है या क्षतिग्रस्ता करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। इसमें व्यहथित व्यिक्त (पीडिता) का शारीरिक दुरूपयोग, शाब्दिक या भावनात्म क दुरूपयोग और आर्थिक दुरूपयोग शामिल है। (धारा 3-क) राज्यी सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्त र्गत सभी उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समस्तन बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं समस्ते प्रचेताओं को कुल 574 अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नियुक्तज किया गया है। इसके अतिरिक्त संरक्षण अधिकारी संविदा के आधार पर स्वीीकृत किये गये हैं। राज्यअ में अभी तक 87 गैर-शासकीय संस्था ओं को सेवाप्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा 13 संस्थाउओं को आश्रयगृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यद में सरकार के अधीन संचालित सभी जिला अस्पयताओ, सेटेलाइट अस्पतालों, उपजिला अस्पातालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिसूचित किया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रकरण में परामर्शदाता नियुक्त करने हेतु जिलों

में परामर्शदाताओं की सूची उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (जिला संरक्षण अधिकारी) द्वारा तैयार की जाती है। व्यथित महिलाओं को तुरंत राहत पहुंचाने आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की गई है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की उपयुक्त क्रियान्वयन एवं प्रबोधन की दृष्टि से जिला महिला सहायता समिति को शीर्ष संस्था बनाया गया है।

व्यिथित महिला किससे सम्पिर्क करे –

- संरक्षण अधिकारी से सम्प्रक कर सकती है। (संबंधित उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं प्रचेता)
  सेवा प्रदाता संस्थाए से सम्प्रक कर सकती है।
- पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकती है।
- किसी भी सहयोगी के माध्यम से अथवा स्वयं सीधे न्यापयालय में प्रार्थना पत्र दे सकती है।

व्यथित महिला को राहत –

- इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यथित महिला को मजिस्ट्रेट उसके संतान या संतानों को अस्थाई अभिरक्षा, घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी क्षति के लिए प्रतिकार आदेश एवं आर्थिक सहायता के लिए आदेश दे सकते हैं। साथ ही आवश्यरकता पडने पर 'साझा घर' में निवास के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तार्गत न्याझयालय द्वारा पारित संरक्षण आदेश की अनुपालना नहीं करने पर प्रत्यमर्थी को एक वर्ष तक का दंड एवं बीस हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।